न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस

(1) राजस्व अपील संख्या 667/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. मनफूलराम पुत्र उतमाराम जाति मेघवाल 2. मोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल 3. ताराराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल 4. धापोदेवी पत्नी दमाराम जाति मेघवाल सभी निवासीगण चक–12–एच, हिश्यामकी, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर		1. टीबू पत्नी फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बडी सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर 2. बींजाराम पुत्र फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बडी सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर 3. सरपंच ग्राम पंचायत बडी सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर 4. खींयाराम पुत्र पतुराम जाति मेघवाल 5. चेतनराम पुत्र पतुराम जाति मेघवाल 6. भंवराराम पुत्र उतमाराम जाति मेघवाल 7. विजयराम पुत्र उतमाराम जाति मेघवाल 8. रूघाराम पुत्र उतमाराम जाति मेघवाल 9. मूमलदेवी पत्नी उतमाराम जाति मेघवाल 10. हुकमाराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल 11. भीखाबाई पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल 12. रतनाबाई पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल 13. सारादेवी पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल रेस्पो. संख्या 4 से 13 निवासीगण चक–12–एच, हिश्यामकी, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप
दिनांक 05 दिसम्बर 2022 म्युटेशन अपील संख्या 02/2021
टीबू बनाम बींजाराम इत्यादि

———

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
2. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दिवाकर शर्मा, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 4 से 10 व 13

(2) राजस्व अपील संख्या 699/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. रूगनाथराम उर्फ रूगाराम पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल 2. नेताराम उर्फ नेतराम पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल 3. प्रेमाराम उर्फ प्रेमकुमार पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल सभी निवासीगण कानसिंह की सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर		1. टीबू पत्नी फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बडी सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर 2. बींजाराम पुत्र फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बडी सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर 3. सरपंच ग्राम पंचायत बडी सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर 4. खींयाराम पुत्र पतुराम जाति मेघवाल 5. चेतनराम पुत्र पतुराम जाति मेघवाल 6. भंवराराम पुत्र उतमाराम जाति मेघवाल

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

		9. मूमलदेवी पत्नी उतमाराम जाति मेघवाल 10. हुकमाराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल 11. भीखाबाई पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल 12. रतनाबाई पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल 13. सारादेवी पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल 14. मनफूलराम पुत्र उतमाराम जाति मेघवाल 15. मोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल 16. ताराराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल 17. धापोदेवी पत्नी दमाराम जाति मेघवाल रेस्पो. संख्या 4 से 13 निवासीगण चक–12–एच, हिश्यामकी, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर 18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप
दिनांक 05 दिसम्बर 2022 म्युटेशन अपील संख्या 02/2021
टीबू बनाम बींजाराम इत्यादि

उपस्थित–

1. श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
2. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
3. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 4 से 10 व 13से 16
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 18

निर्णय

दिनांक : 24 अप्रेल 2023

ये दोनों अपीलें अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व अपील संख्या 2/2021 टीबू बनाम बींजाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2022 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की है। इन दोनों अपीलों से संबंधित अपीलाधीन आदेश, वादग्रस्त आराजी आदि एक समान होने से इनका निस्तारण उभयपक्षकारान की सहमति से एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली में संलग्न रखी जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील संख्या 699/2022 रूगनाथ व अन्य बनाम टीबू इत्यादि के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही एक अन्य प्रार्थनापत्र अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मु. टीबू पत्नी फुसाराम (वर्तमान

तहसील बाप स्थित आराजी खसरा संख्या 26 रकबा 310 बीघा 04 बिस्वा बुधा पुत्र बता के नाम खातेदारी में दर्ज थी, बुधाराम के जीवनकाल में ही उसके पुत्र फूसाराम का देहान्त हो चुका था और मु. टीबू पत्नी फूसाराम तथा बींजाराम पुत्र फूसाराम उसके वारिसान है। किन्तु बुधा के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी बाबत फौतेदगी म्युटेशन संख्या 15/146 बींजाराम ने अकेले अपने नाम भरवा दिया, जबकि मु. टीबु का भी वादग्रस्त आराजी में ½ हक–हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील, जिसमें मु. टीबू द्वारा अकेले बींजाराम को ही पक्षकार बनाया गया, दर्ज की जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी। अपील विचाराधीन रहने के दौरान वर्तमान अपील में अपीलाण्ट तथा अन्य रेस्पो. की ओर से पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो स्वीकार किया जाकर उन्हें पक्षकार बनाया गया। सभी पक्षकारान की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2022 पारित कर म्युटेशन संख्या 15/146 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि आलौच्य मामले में रेस्पो. संख्या एक मु. टीबू द्वारा प्रथम अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी। रेस्पो. संख्या 2 बींजाराम द्वारा समस्त वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जा चुका है और बेचाननामा पर रेस्पो. संख्या एक मु. टीबू का भी अंगुष्ठनिशान है। इस प्रकार जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वीकृत म्युटेशन एवं किये गये बेचान बाबत रेस्पो. संख्या एक व दो, दोनों को भलीभांति जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य हो जाती है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी बाबत रेस्पो. संख्या दो बींजाराम द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 46/2020 भी प्रस्तुत किया गया, जिससे भी यह साबित होता है कि रेस्पो. संख्या एक व दो आपस में दुराभिसंधि कर अपील एवं वाद के जरिये अपीलाण्ट्स की भूमि हडपना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित गौर किये बिना तथा समुचित साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2022 पारित कर दिया गया, जो विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपील संख्या 699/2022 रूगनाथ व अन्य बनाम टीबू इत्यादि के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स रूगनाथ इत्यादि वादग्रस्त आराजी के सद्भाविक क्रेता एवं हितबद्ध पक्षकार है जिनके द्वारा दिनांक 17 अगस्त 1991 को तीन अलग–अलग पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये आराजी खसरा संख्या 26 में से 65 बीघा भूमि क्रय की गयी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष मु. टीबू द्वारा प्रस्तुत अपील में उन्हें पक्षकार ही नहीं बनाया गया, जिससे अपीलाण्ट्स–क्रेतागण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलाण्ट्स के वादग्रस्त आराजी में निहित हित प्रतिकूलरूपेण प्रभावित हो रहे है। अतः इन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है, और रेस्पो. संख्या एक मु. टीबू तथा रेस्पो. संख्या दो बींजाराम मूल खातेदार बुधा के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण इनका वादग्रस्त आराजी में ½–½ बराबर हक हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी बाबत अकेले बींजाराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया म्युटेशन संख्या 15/146 विधि विरूद्ध होने के कारण उसे खारिज करने तथा वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि के संबंध में खातेदार बुधा के प्रथम श्रेणी के वारिसान के पक्ष में म्युटेशन की कार्यवाही करने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बकाया रेस्पो. की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स की बहस का समर्थन करते हुए तदनुसार अपीलें किये जाने का निवेदन किया।

अपील संख्या 699/2022 रूगनाथ व अन्य बनाम टीबू इत्यादि में रेस्पो. संख्या 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपील संख्या 699/2022 रूगनाथ व अन्य बनाम टीबू इत्यादि के साथ प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17 अगस्त 1991 की प्रतियों का अवलोकन करने पर विदित होता है कि तीन अलग–अलग पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के माध्यम से बींजाराम पुत्र फूसाराम द्वारा खसरा संख्या 26 के सम्पूर्ण रकबे में से प्रेमाराम पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल के पक्ष में 22 बीघा, रूगनाथराम पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल के पक्ष में 22 बीघा तथा नेताराम पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल के पक्ष में 21 बीघा भूमि का बेचान किया गया है। जिससे जाहिर है कि उक्त तीनों क्रेतागण पंजीबद्ध विक्रय विलेखों की रूह से वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है। अतः इन क्रेतागण–अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

चूंकि वर्तमान में मामले से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है, अतः अपील संख्या 699/2022 रूगनाथ व अन्य बनाम टीबू इत्यादि के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र (अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने हेतु) में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अन्दर मियादशुमार किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि फौतेदगमी म्युटेशन संख्या 15/146 स्वीकार किये जाने के समय मु. टीबू को सूचित नहीं किये जाने, वादग्रस्त आराजी में मु. टीबू का पुश्तैनी आधार पर ½ दो हिस्सा निहित होने के सारवान तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ

सदुपयोग करते हुए प्रथम अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की गयी है। जिससे अदालत हाजा सहमत है। अतः इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में बुधाराम पुत्र बता की खातेदारी की होने, बुधाराम के जीवनकाल में ही उसके पुत्र फूसाराम का देहान्त हो जाने तथा स्वयं बुधाराम के देहान्त के समय उसकी पुत्रवधू मु. टीबू बेवा फूसाराम (वर्तमान अपीलों में रेस्पो. संख्या एक) तथा पौत्र बींजाराम पुत्र फूसाराम (वर्तमान अपीलों में रेस्पो. संख्या दो) उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के तथ्यों का किसी भी ठोस आधार पर कोई खण्डन नहीं किया गया है। चूंकि खातेदार बुधाराम के देहान्त के बाद मु. टीबू तथा बींजाराम दोनों ही उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान थे, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी बाबत फौतेदगी म्युटेशन संख्या 15/146 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त दोनों प्रथम श्रेणी के वारिसान के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त दोनों को बहिस्सा बराबर–बराबर वादग्रस्त आराजियात का खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये। मगर फौतेदगी म्युटेशन संख्या 15/146 सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी बाबत अकेले बींजाराम पुत्र फूसाराम के नाम स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किया गया।

चूंकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रेस्पो. संख्या एक मु. टीबु पत्नी फूसाराम तथा रेस्पो. संख्या 2 बींजाराम पुत्र फूसाराम दोनों का आधा–आधा हक हिस्सा बनता है। किन्तु पूर्व में समस्त आराजी जरिये म्युटेशन संख्या 15/146 अकेले रेस्पो. संख्या दो बींजाराम के नाम दर्ज कर दी गयी, और उसके द्वारा अलग–अलग पंजीबद्ध बेचानानामों के जरिये वादग्रस्त आराजी में भूमि का विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में बेचान कर दिया गया है। जो वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में रेस्पो. संख्या दो बींजाराम के ½ हिस्से की सीमा तक ही विधिसम्मतः है, एवं मु. टीबु के हिस्से बाबत बींजाराम द्वारा किये गये बेचान प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मु. टीबु के हिस्से तक के बेचान को बेअसर घोषित किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2022 को आंशिक संशोधित करते हुए मु. टीबु के ½ हिस्से तक के इन्द्राजात संबंधित आदेश को यथावत रखते हुए बेचानकर्ता बींजाराम के ½ हिस्से की सीमा तक जरिये विक्रय विलेख किये गये बेचान को वैध मानते हुए माफिक विक्रय विलेख खरीददारों के नाम बेचानकर्ता बींजाराम के ½ हिस्से की सीमा तक नियमानुसार इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हे। इसी अनुरूप ये दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/2023